FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0223 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/10/2024 20:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/03/2000 **Date To (दिनांक तक):** 03/12/2020
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:40 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/10/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/10/2024 20:00:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 265 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
      (b) **Address(पता):** RIHAYSHI MAKAN NO.10K17, R C VYAS COLONY,BHILWARA
      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** Vikram Singh Rathore

   (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/01/1966 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**

   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Pratp Nager, UDAIPUR, PRATAPNAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Pratp Nager, UDAIPUR, PRATAPNAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SATISH KUMAR SHARDA		पिता:RADHESHYAM SHARDA	1. 10K17,R C VYAS COLONY,BHILWARA,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,52,29,669.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,52,29,669.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिंनाक 03.12.2020 को आरोपीगण श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता नगर विकास न्यास भीलवाडा , श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालिन अधिशाषी अभियंता कार्यवाहक, श्री ब्रह्म्मा लाल शर्मा तत्कालिन सहायक अभिंयता अतिरिक्त प्रभार अधिशाषी अभियंता नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग कर आपसी मिलिभगत कर अनेतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री राहुल डाड की फर्म मेसर्स श्याम लाल डाड द्वारा करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के बिलो का भुगतान करने कि एंवज में दोराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत राशि कि मांग करना एंव दोराने ट्रेप दिंनाक 03.12.2020 को 1,00,000/- रूपये रूपये रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण करने से प्रकरण संख्या 299/2020 दर्ज किया जाकर प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण किया जाकर चार्जशीट माननीय विषिष्ठ न्यायाधीष महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सेशन न्यायालय भीलवाडा में पेश की जा चुकी है। दोराने ट्रेप कार्यवाही दिंनाक 03.12.2020 को ट्रेप अधिकरी एंव उच्च अधिकारीयों के निर्देशानुसार ट्रेप प्रकरण के तीनो कार्मिको के मकान/ प्रतिष्ठानों की खाना तलाशी नियमानुसार लिवाई गई जिसमें उक्त खाना तलाशी आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के रिहायशी मकान 10 के 17 आरसी व्यास कोलोनी भीलवाडा की खाना तलाशी जांच अधिकारी श्री लक्ष्मण राम पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरों भीलवाडा प्रथम द्वारा मय ब्यूरेां जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन के रिहायशी मकान पर पहुच नियमानुसार परिवार जनो से सहमती प्राप्त कर मकान मे प्रवेश कर खाना तलाशी नियमानुसार शूरू की दोराने खाना तलाशी मकान में मिले समस्त घरेलू सामान,जेवरात, दस्तावेजात इत्यादी मिले जिसको फर्द खाना तलाशी में उल्लेख कर सन्दर्भीत खाना तलाशी के क्रम संख्या 01 से 44 तक के दस्तावेज एंव क्रम संख्या 45 कि रोकड राशि 1,00,000/- रूपये रूपये कब्जे एसीबी लिये गये इनके अलावा और कोई दस्तावेज , जेवरात एंव राशि कब्जे ब्यूरों नही ली गई। दोराने खाना तलाशी जांच वक्त खाना तलाशी आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के रिहायशी मकान से फर्द खाना तलाशी के क्रम संख्या 45 पर एक लाख रूपये कब्जे एसीबी लिये थे जो माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शेषन न्यायालय भीलवाडा द्वारा बमाह जून में वक्त प्रकरण संख्या 299/2020 कि चार्जशीट के साथ जरिये रोड सर्टिफिकेट जमा न्यायालय किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा सम्बधिंत आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा को लोटाये जाने के आदेश होने पर न्यायालय से लोटाये जा चुके हैं। दोराने खाना तलाशी जांच आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के प्रथम नियुक्ति आदेश, पदोन्नती आदेश , निलम्बन आदेश एंव सेवानिवृती आदेश कि प्रमाणित प्रतिया , वेतन विवरण , पदस्थापन , भुखण्ड क्रय विक्रय करने सम्बधी दस्तावेज ,बैंक बचत खातो का विवरण , एफडीआर, बीमा , एलआईसी , एंव वाहनो सम्बधी सूचना इत्यादी सम्बधित विभागो से प्राप्त की गई एंव वक्त खाना तलाशी में मिले मूल अथवा फोटो प्रतिया दस्तावेजो का गहन विवेचन करने पर पाया गया कि आरोपी कि प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिंनाक 09.03.2000 को हुई तथा पदस्थापन दिंनाक 09.03.2000 से दिंनाक 16.10.2009 तक कार्यालय नगर परिषद भीलवाडा , दिंनाक 17.10.09 से 22.02.2010 तक कार्यालय नगर परिषद किशनगढ, दिंनाक 23.02.2010 से 06.06.2012 तक कार्यालय नगर विकास न्यास भीलवाडा रहते हुये दिंनाक 09.03.2011 को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नती हुई फिर दिंनाक 07.06.2012 से 19.10.2016 तक कार्यालय नगर परिषद भीलवाडा एंव दिंनाक 20.10.2016 से ट्रेप दिंनाक 03.12.2020 तक कार्यालय नगर विकास न्यास भीलवाडा पदस्थापित रहते हुये उक्त ट्रेप कि कार्यवाही के दोरान खाना तलाशी लिवाई गई उक्त खाना तलाशी जांच करने पर प्राप्त मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्यो का गहन विवेचन करने पर आरोपी के प्रथम नियुक्ती दिंनाक से ट्रेप दिंनाक तक कि अवधि को चैक पिरीयड अवधि दिंनाक 09.03.2000 से दिंनाक 03.12.2020 तक कि अवधि में प्राप्त वेतन भत्तो से प्राप्त शुद्ध आय एव आरोपी के परिवार जनो के द्वारा अन्य स्त्रोतो से आय को जोड कर उक्त चेक पिरियड अवधि के दोरान चल अचल सम्पती अर्जित करने पर खर्च राशि एंव व्यय सम्बधी समस्त राशि प्राप्त कर निम्नानुसार चार्ट में विवरण इस प्रकार है। उक्त आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालिन सहायक अभिंयता अतिरिक्त चार्ज अधीषाषी अभियंता नगर विकास न्यास भीलवाडा निलम्बन अवधि के दोरान दिंनाक 31.03.2023 को सेवानिवृत होना खाना तलाशी जांच से पाया गया। दौराने खाना तलाशी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो चित्तोडगढ ने दिनांक 07.11.2023 को आरोपी के रिहायशी मकान नंबर 10 के 17 आरसी व्यास कोलोनी भीलवाडा पहुंच आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के कथन आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा की मौजुदगी में एवं

ब्यूरो महिला कानिस्टेबल श्रीमति आशा कुमारी की उपस्थिति में लेखबद्ध किये जिसको ब्यूरो के डिजीटल वोईस टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की गई तथा श्रीमति ज्योत्सना शारदा से अपनी आय जो आयकर रिटर्न में दर्शाई गई है जो आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा द्वारा खाना तलाशी जांच के दौरान प्रस्तुत किये है जिसके संदर्भ में आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना ने बयानो में बताया कि मैने साडी का व्यवसाय कब प्रारम्भ किया मुझे याद नहीं है। मैं 200-200 रूपये में साडी लाती थी। रामपुरा मोहता जी के यहां से साडीयां लाती थी मोहता जी साडी वाला कोन था मुझे याद नहीं है। 500-1000 की एक साडी लाती थी हर एक साडी पर 100-100 रूपये की इनकम प्रति साडी का होता था। साडी पे मेने कितना कमाया था मुझे याद नहीं है मैने साडी का व्यवसाय कब बंद किया मेरे को याद नहीं है। सीयाराम ट्रेड मुंबई से सीधा कस्टमर को माल पहूंचाती थी सीयाराम ट्रेड में कोन अधिकारी था, कौन सीईओ था मुझे याद नही है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैने सीयाराम के साथ बिजनस किस वर्ष से किस वर्ष तक किया। सीयाराम में हर वर्ष कितना प्रोफिट होता था मेरे को याद नही है। शायद हर वर्ष दौ लाख रूपये मिलते थे। इसके बाद मैने शुभ्रा उधोग में काम किया था। किन्तु अवधि मुझे याद नहीं है तीन चार वर्ष तक कार्य किया था वहां काम करने वालों के नाम मेरे को याद नहीं है शुभ्रा में वर्ष में एक बार मेरे को सेलेरी मिलती थी। सेलेरी कितनी थी मेरे को याद नहीं है, यहां कब से कब तक काम किया मेरे को याद नहीं है। शुभ्रा में काम करने के बाद मैने कोठारी कंस्ट्रक्शन कम्पनी में काम किया था इनका ऑफिस कहां है मेरे को याद नहीं है यह फर्म कैलाश जी कोठारी के नाम से है वहां मैने चार-पांच वर्ष काम किया था किस वर्ष में किया मैरे को याद नहीं है मेरे को कितनी सेलेरी देते थे यह भी मेरे को याद नहीं है। मुझे किसी का भी प्लाट की लोकेशन याद नहीं है जहां काम करने वालो के नाम भी मुझे याद नहीं है मैने कुछ बच्चो को भी पढाया था उनका नाम मेरे को याद नही है। कोठारी फर्म में कौन- कौन बैठते थे मेरे को याद नहीं हैं कि वहां कौन कर्मचारी काम करते थे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न मेरे पति ही भरते थे सीयाराम फर्म के नाम से थी कोठारी कम्पनी का एड्रेस आरसी व्यास कोलोनी था। कोठारी जी के घर पर ही जाती थी सांगानेर में भी इनका ऑफिस था कैलाश जी कोठारी के मोबाईल नंबर [redacted] एवं शुभ्रा उधोग के मालिक बीवी काबरा के मोबाईल नंबर [redacted] है। उक्त बयान किया गया तथा श्री कैलाश जी कोठारी एंव श्री बीवी काबरा से श्रीमति ज्योत्सना द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बरो पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मौके पर ही आरोपी एवं उनकी पत्नि के समक्ष ही वार्ता की तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा बाद में बात करने की कहते हुये मोबाईल कॉल को काट दिया। जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा द्वारा कोई संतोषप्रद बयान नहीं दे पाई जिससे यह प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा फर्जी तरीके से आयकर रिटर्न अपनी पत्नि का प्रति वर्ष का भरता था ताकि उनकी अवेध रूप से प्राप्त की जाने वाली रिश्वत राशि को वैघ रूप से अपनी पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा की आय में दर्शाया जाना पाया जाता है। इसलिये आरोपी द्वारा दौराने जांच अपनी पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के आयकर रिटर्न अपनी अवैध श्रोतो से प्राप्त आय में दर्शाए जाने हेतू ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किये गये तथा आरोपी की पत्नि द्वारा उक्त चेक पीरीयड अवधि के दोरान सबसे पहले साडी का व्यवसाय , बाद में सियाराम टेडर्स में कपडा के धागे से कपडा बना कर देने सम्बधि इसके बाद शुभ्रा उद्योग में कंस्ट्रक्शन से सम्बधित कार्य देखने सम्बधि कार्य किया उसके बाद बच्चों को ट्युशन इत्यादी कराने सम्बधि व्यवसाय किया जाना बताया गया है परन्तु व्यवसाय किस अवधि मे किया और कब तक किया और व्यवसाय किन व्यक्तियों/ फर्मो के मध्य किया गया एंव उक्त व्यवसाय करने से कितनी आय हुई के सम्बध में अपना प्रतिउतर बयानों में नही दे सकी जिससे स्पष्ट होता है की उक्त व्यवसाय करना झूठा मनगढत बताया गया है जबकी आरोपी की पत्नि की आय से सम्बधित मनगढत स्टेटमेंट आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा ने प्रस्तुत किया था जिनकी पुष्टि आरोपी की पत्नि के बयानो से नही होती है इसलिये उक्त तथ्यों से आरोपी की आय में जोडे जाने की पुष्टी नहीं होती है इसलिये आरोपी की अर्जित आय में नहीं जोडा गया है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी द्वारा संलग्न आयकर विवरण में आरोपी की पत्नी की व्यवसाय एवं अन्य स्त्रोंतो से राशि 36.55 लाख की आय होना दर्शाया है परन्तु दोहराने खाना तलाशी जांच दिनांक 07.11.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की पत्नी श्रीमती ज्योत्सना शारदा के बयान् व्यवसाय एवं अन्य स्त्रोंतो से आय होना बताया एवं आयकर रिटर्न में उल्लेख है के संबंध में पुछताछ बयान् लेखबद्ध करते हुये ब्यूरो कार्यालय की डी.वी.आर. में रिकार्ड किया गया जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट दिनांक 17.11.2023 को दो स्वंतत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार की गई उक्त बयान एवं रिकार्ड वार्ता की ट्रांसकिप्ट में भी कोई व्यवसाय एवं अन्य स्त्रोंतो से आय के संबंध में आरोपी की पत्नी श्रीमती ज्योत्सना शारदा ने कोई तथ्य परक एवं ठोस साक्ष्य नहीं बताये इसलिए आरोपी की पत्नी श्रीमती ज्योत्सना शारदा द्वारा आयकर रिटर्न में बताये गयी आय मानने योग्य नही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा द्वारा दिनांक 02.04.2002 में भुखण्ड संख्या ए-502 इन्द्रा विहार कोटा क्रय राशि 4,95,000 रूपये में क्रय किया जिसका पंजियन शुल्क राशि 1,85,475 रूपये लगी उक्त मकान क्रय किया तब मौके पर एक मंजिला बना हुआ था। जो अधुरी हालत में था यानी की मात्र ढांचा बना हुआ था जिसमें फर्स, प्लास्टर, खिडकी, दरवाजा एवं अन्य कार्य होना बाकी था मात्र ईटों की दिवार बनकर आर.सी.सी. पडी हुई थी शेष कार्य होना बाकी था। उक्त मौके की स्थिति पंजियन दस्तावेज दिनांक 02.04.2002 में पेज संख्या 3 पर इंद्राज है। उक्त मकान आधे अधुरे को पूर्ण कराने में मकान निर्माण की लागत राशि 500 रूपये के हिसाब से भुखण्ड का क्षैत्रफल 2800 वर्ग फीट के हिसाब से अनुमानित लागत राशि 14,00,000 रूपये होती

है उक्त मकान का रिको इन्डसट्रियल एरीया में कनवर्ट कराने की लीज डीड दिनांक 22.03.2005 को कराने पर पंजीयन शुल्क राशि 2350 रूपये सहीत उक्त मकान की लागत व्यय राशि 20,82,825 रूपये खर्च हुई। उक्त मकान को आरोपी द्वारा दिनांक 22.03.2005 को विक्रय राशि 22,00,000 रूपये में विक्रय किया जिनके क्रय -विक्रय के पंजीयन दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिया कार्यालय उप पंजीयक प्रथम कोटा से प्राप्त किये गये उक्त मकान क्रय करने पर कुल लागत व्यय राशि 20,82,825 रूपये हुई जिसको विक्रय करने पर प्राप्त विक्रय राशि 22,00,000 रूपये प्राप्त हुये तथा विक्रय राशि में से क्रय राशि घटाये जाने पर प्राप्त अंतर राशि 1,17,175 रूपये आरोपी को लाभ प्राप्त हुआ इसलिए उक्त लाभांश राशि 1,17,175 रूपये को आरोपी की अर्जित आय में जोडा जाकर प्रपत्र "स" में दर्शाया गया जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा से जानकारी चाही गई तो उन्होने तीन बैंक के स्टेटमेंट उपलब्ध कराते हुये उक्त तीनों बैंक बचत खाते में प्राप्त ब्याज राशि को चिन्हीत की गई जिसमें आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के नाम एसबीआई शाखा भीलवाडा के बचत खाता संख्या 31329321750 में खाता खुलवाने की दिनांक से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1,65,562 रूपये, दुसरा बचत खाता श्री सतीश कुमार शारदा के नाम बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा भीलवाडा के बचत खाता संख्या 40010100006761 मे खाता खुलवाने की दिनांक 02.01.2013 से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक अवधि में ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 85,481 रूपये एवं तीसरा बचत खाता आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा एवं पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के सयुक्त बचत खाता शाखा एसके प्लाजा एचडीएफसी बैंक भीलवाडा के बचत खाता संख्या 03501000037051 में खाता खुलवाने की दिनांक 01.07.2007 से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक की अवधि मे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 4,86,463 रूपये सहीत उक्त तीनो बचत खातो की कुल ब्याज राशि 7,37,506 रूपये प्राप्त हुये जो बचत खातो में एफडीआर, आरडी, बैंक बीमा पोलीसी इत्यादी से प्राप्त ब्याज राशि को आरोपी की अर्जित आय में जोडा जाकर प्रपत्र "स" में दर्शाया गया है। जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि खाना तलाशी के दौरान मिली 23 एफडीआर मुल जिसमें प्रत्येक एफडीआर में निवेश दिनांक एवं निवेश राशि का अंकन है उक्त 23 एफडीआर जिसकी परिपक्व राशि नहीं उठाई गई है। उक्त 23 एफडीआरो में निवेश दिनांक चैक पिरीयड अवधि दिनांक 09.03.2000 से दिनांक 03.12.2020 तक की अवधि के दौरान निवेश की गई चैक पिरीयड अवधि से पुर्व की उक्त 23 एफडीआरो मे एक भी नही है सभी एफडीआर चैक पिरीयड अवधि की होने से आरोपी के अर्जित संपत्ति मे जोडी गई है। इनके अलावा पुरक रिपोर्ट के क्रम मे आरोपी के एवं परिवार जनो के नाम से उक्त एफडीआरो के अलावा और एफडीआर होने की सुचना संबंधित बैंको से प्राप्त की गई तो 01 एफडीआर पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाम की सब्जी मण्डी भीलवाडा में श्रीमति गीता एवं आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के संयुक्त नाम से एफडीआर खाता संख्या 3575003108350114 में निवेश दिनांक 09.10.2003 को निवेश राशि 50,000 रूपये की कराई गई जो चैक पिरीयड अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक परिपक्व राशि बैंक से नहीं उठाई गई जो नियमित रूप से रिन्युअल हो रही हैं जिसका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया गया एवं दुसरी एफडीआर होने की सुचना आरोपी के पुत्र श्री प्रांशु शारदा के नाम एच.डी. एफ.सी बैंक भीलवाडा में श्री प्रांशु शारदा के नाम एफ.डी.आर खाता संख्या 50300171519002 में दिनांक 16.11.2016 में निवेश राशि 3,00,000 रूपये निवेश किया जाना पाया गयां। उक्त एफडीआर नियमित रिन्युअल चल रही है जो चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक की अवधि में परिपक्व राशि प्राप्त नहीं की गई उक्त एफडीआर का बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर सत्यापन किया गया तो पाया गया उक्त दोनो एफडीआरो की कुल निवेश राशि 3,50,000 रूपये एवं पूर्व संदर्भित 23 एफडीआरो की निवेश राशि 18,05,393 रूपये सहीत कुल निवेश राशि 21,55,393 रूपये को आरोपी की अर्जित संपत्ति में जोडा जाकर प्रपत्र ब में दर्शाया गया जो सही है। अब और कोई एफडीआर आरोपी व आरोपी के परिवारजनो के नाम से होने संबंधि सुचना प्राप्त नही हुई है फिर भी यदि कोई तथ्य सामने आयेंगे तो उनके संबंध में अनुसंधान के दौरान किया जा सकता है तथा आरोपी ने और कोई एफडीआर स्वयं की जानकारी मे नही होना बताया एवं खाना तलाशी मे मिली एफडीआर के अलावा दो एफडीआर की सुचना प्राप्त हुई है कुल 25 एफडीआर मे निवेश राशि 21,55,393 रूपये करवाये जाने के अलावा अन्य कोई तथ्य नहीं दिया है। यदि कोई एफडीआर चैक पिरियड अवधि के दौरान करवाई जाकर परिपक्व राशि प्राप्त कर ली गई हो जिससे संबंधित दस्तावेज वक्त खाना तलाशी नहीं मिले एवं संबंधित बैंको से भी सुचना प्राप्त नही हुई है इस संबंध में आरोपी द्वारा कोई तथ्य पेश नही किया है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी की पत्नि के नाम मारूति 800 आरजे 27 सी 6920 दिनांक 18.02.1998 मे क्रय कर पंजीयन कराया गया किन्तु उक्त वाहन चैक पिरीयड अवधि के पुर्व का क्रयशुदा होने से इन पर क्रय लागत लागत राशि एवं पंजीयन शुल्क को आरोपी की अर्जित संपत्ति में नहीं जोडा जा रहा है परंतु उक्त वाहन चैक पिरीयड अवधि दिनांक 09.03.2000 से दिनांक 03.12.2020 तक की अवधि में उक्त वाहन दिनांक 09.03.2000 से वर्ष 2009-10 में श्री जयदीप सांखला भीलवाडा को राशि 1,25,000 रूपये में विक्रय कर दी गई तो विक्रय राशि 1,25,000 को आरोपी की अर्जित आय मे जोडा जाकर प्रपत्र "स" में दर्शाया जाना उचित रहेगा। किन्तु उक्त वाहन चैक पिरीयड अवधि दिनांक 09.03.2000 से वर्ष 2009-10 में विक्रय किया गया तो आरोपी की पत्नि द्वारा उक्त वाहन 10 वर्ष तक परिचालन किये

जाने पर रखरखाव/सर्विस चार्ज/मेंटेनेंस, वाहन बीमा एवं फ्यूल खर्च प्रतिवर्ष 60,000 रूपये के हिसाब से 10 वर्ष कुल व्यय राशि 6,00,000 रूपये होती है जिसे आरोपी के अर्जित व्यय में जोडा जाकर प्रपत्र "द" में दर्शाया गया है जो सही है। उक्त वाहन श्री जयदीप सांखला को बेचान किये जाने के संबंध में श्री जयदीप सांखला के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कर जानकारी प्राप्त की गई तो श्री जयदीप सांखला ने बताया कि उक्त वाहन मैने वर्ष 2009-10 में खरीदा था जो वर्तमान में मेरे पास नही है पुराना होने से बेच दिया है। श्री जयदीप सांखला उक्त वाहन राशि 1,25,000 रूपये में खरीदा था दिनांक श्री जयदीप सांखला को अभी याद नही है ओर इस संबंध में कोई लिखा पढी भी नही हैं उक्त वार्ता से वाहन आरोपी द्वारा विक्रय किया गया जिसकी पुष्ठि की गई। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा की मार्च 2017 की बैलेंसशीट मे पत्नि के पास राशि 5.88 लाख रूपये के गहने होना अंकित किया गया है जिसके सम्बंध में आरोपी से जांच के दौरान स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तो आरोपी ने राशि 5.88 लाख रूपये के गहने नही होकर स्वीफ्ट डिजायर कार राशि 5,88,500 रूपये में खरीदी थी गलती से बैलेंसशीट में गहने लिख दिये गये है जबकि उक्त स्वीफ्ट डिजायर कार की क्रय राशि एवं अन्य व्यय राशि का इन्द्राज अलग से किया गया है बल्कि आरोपी ने अपनी पत्नि के गहने की वैल्यु मात्र राशि 32,050 रूपये ही दर्शाया गया है। जबकि अब गहने पर खर्च राशि 32,050 रूपये का तथ्य सामने आया है तो उक्त गहने पर व्यय राशि 32,050 को आरोपी की अर्जित संपत्ति मे जोडा जाकर प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है जो सही है खाना तलाशी जांच से पाया गया कि सीयाराम सिल्क मील में राशि 2.76 लाख रूपये का निवेश होना प्रतीत होता है के संबंध मे आरोपी से जवाब चाहा गया तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि सीयाराम सिल्क मील मे पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा द्वारा कोई राशि निवेश नही की गई है तथा आरोपी की पत्नि उक्त मील/कम्पनी मे एजेंट थी ओर एजेंट द्वारा मील का माल जितना बेचा जाता है उसका कमीशन वर्ष मे एक बार जरीये चैक प्राप्त होता है परन्तु कितना कमीशन प्राप्त हुआ इसके संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किया है। इस संबंध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुसंधान के दौरान किया जाना उचित रहेगा। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी द्वारा चैक पीरीयड अवधि में आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम बजाज एलाइंज की पोलीसी नम्बर 0061858297 प्रारम्भ दिनांक 21.09.2007 की वार्षिक प्रीमीयम राशि 75000/- रूपयेरूपये के हिसाब से वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक कुल प्रीमीयम राशि 2,25,000 रूपये जमा कराये गये उक्त पोलीसी में निवेश राशि के सत्यापन हेतु संबंधित बजाज एलाइंज से सुचना प्राप्त की गयी जिसे कुल प्रीमीयम राशि 2,25,000 रूपये जमा कराये गये निवेश राशि को प्रपत्र ब में दर्शाया गया है जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी द्वारा चैक पीरीयड अवधि में आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस की पोलिसी नम्बर 139104480 प्रारम्भ दिनांक 15.02.2015 से दिनांक 31.08.2010 तक की प्रीमीयम राशि कुल प्रीमीयम राशि 2,50,000 रूपये जमा कराये गये उक्त पोलिसी में निवेश राशि के सत्यापन हेतु संबंधित एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस से सुचना प्राप्त की गयी जिसे कुल प्रीमीयम राशि 2,50,000 रूपये जमा कराये गये एवं आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस की पोलिसी नम्बर 17940235 प्रारम्भ दिनांक 13.10.2015 से दिनांक 18.11.2019 तक की प्रीमीयम राशि कुल प्रीमीयम राशि 3,75,000 रूपये जमा कराये गये उक्त पोलिसी में निवेश राशि के सत्यापन हेतु संबंधित एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस से सुचना प्राप्त की गयी जिसे कुल प्रीमीयम राशि 3,75,000 रूपये जमा कराये गये उक्त दोनो पोलिसियो में कुल निवेश राशि 6,25,000 रूपये किये गये जिसको प्रपत्र ब में दर्शाया गया है जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी के पुत्र श्री प्रांशु शारदा के नाम एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस पोलिसी नम्बर 1एन 4591140108 दिनांक 04.08.2017 से 27.08.2020 तक कुल निवेश राशि 1,27,883 रूपये किया जाना संबंधित एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड भीलवाडा से प्राप्त सुचना के सत्यापन से जानकारी हुई अब वास्तविक निवेश राशि 1,27,883 रूपये होते है जिसे आरोपी के संम्पती प्रपत्र ब में दर्शाया गया है जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा से प्राप्त स्पष्टीकरण से ज्ञात हुआ कि आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के आयकर विवरणिका वर्ष 2013-14 के अनुसार खुशाल सिक्योरिटी मे दिनांक 22.09.2008 को निवेश राशि 50,00,000 रूपये एवं दिनांक 17.10.2008 को निवेश राशि 55,00,000 रूपये सहीत कुल निवेश राशि 1,05,00,000 रूपये किया जाना तथा खुशाल सिक्योरिटी ने दिनांक 04.04.2012 को राशि 4,95,000 रूपये एवं दिंनांक 11.05.2012 को राशि 8,04,375 रूपये सहीत कुल राशि 12,99,375 पुनः जरिये चैक प्राप्त हुये इस प्रकार उक्त सिक्योरिटीज कम्पनी में निवेश राशि 1 करोड 05 लाख रूपये आरोपी की अर्जित सम्पत्ति में जोडा जाकर प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है जो सही है। इसी प्रकार उक्त सिक्योरिटी कम्पनी द्वारा आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा को दिनांक 04.04.2012 को राशि 4,95,000 रूपये एवं दिंनांक 11.05.2012 को राशि 8,04,375 रूपये सहीत कुल राशि 12,99,375 आरोपी की आय मे जोडी जाकर प्रपत्र "स" मे दर्शाया गया जो सही है इसके अलावा विस्तृत जांच/सत्यापन अनुसंधान के दौरान किया जावेगा। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि आरोपी चैक पीरीयड अवधि में अपने रिहायशी मकान में वक्त खाना तलाशी किरायेदार श्री मनीष शर्मा किराये के रूप में एक बेडरूम मय किचन अटैच में रहना पाया गया जिसका उल्लेख फर्द खाना तलाशी में है। आरोपी की आयकर विवरणिका में अंकित राशि 2,62,163 रूपये की आय होना दर्शाया गया है इसलिए उक्त

किराया राशि 2,62,163 रूपये जो आरोपी की आय को प्रपत्र स में दर्शाया गया है जो सही है। दोराने खाना तलाशी जांच पाया गया कि ब्यूरो की गाईडलाइन के अनुसार आरोपी का असत्यापनीय व्यय राशि सकल आय में से केवल आयकर राशि कम कर पेश आय का एक तिहाई दर्शायी जानी है इसलिए आरोपी के चैक पीरीयड अवधि के दौरान दिनांक 09.03.2000 से 03.12.2020 तक प्राप्त कुल सकल वेतन 1,02,22,072 रूपये में से आय कर कटौती राशि 6,98,859 रूपये घटाये जाने पर शेष राशि 95,23,213 रूपये का एक तिहाई राशि 31,74,404 रूपये आरोपी का असत्यापनीय व्यय राशि को प्रपत्र द मे अलग से दर्शाया गया है जो सही है। 1- श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवा निवर्त के चैक पीरीयड अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.03.2000 से पूर्व आयः- -- 00 -- क्रम सं. वैद्य आय के स्त्रोत प्राप्त आय 2- श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवा पेश एवं आरोपी के परिवारजन की चैक पीरीयड अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.03.2000 से ट्रेप दिनांक 03.12.2020 तक वैद्य आयः- 1. आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता की चैक पीरीयड दिनांक 09.03.2000 से ट्रेप दिनांक 03.12.2020 तक की बाद कटौती के प्राप्त शुद्ध वेतन राशि 78,44,091/- रूपये 2. आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा द्वारा दिनांक 02.04.2002 में भुखण्ड संख्या ए-502 इन्द्रा विहार कोटा क्रय राशि 4,95,000 रूपये में क्रय किया जिसका पंजियन शुल्क राशि 1,85,475 रूपये लगी उक्त मकान क्रय किया तब मौके पर एक मंजिला बना हुआ था। जो अधुरी हालत में था यानी की मात्र ढांचा बना हुआ था जिसमें फर्स, प्लास्टर, खिडकी, दरवाजा एवं अन्य कार्य होना बाकी था मात्र ईटों की दिवार बनकर आर.सी.सी. पडी हुई थी शेष कार्य होना बाकी था। उक्त मौके की स्थिति पंजियन दस्तावेज दिनांक 02.04.2002 में पेज संख्या 3 पर इन्दा्रज है। उक्त मकान आधे अधुरे को पूर्ण कराने में मकान निर्माण की लागत राशि 500 रूपये के हिसाब से भुखण्ड का क्षैत्रफल 2800 वर्ग फीट के हिसाब से अनुमानित लागत राशि 14,00,000 रूपये होती है उक्त मकान का रिको इंडस्ट्रियल एरीया में कनवर्ट कराने की लीज डीड दिनांक 22.03.2005 को कराने पर पंजीयन शुल्क राशि 2350 रूपये सहीत उक्त मकान की लागत व्यय राशि 20,82,825 रूपये खर्च हुई। उक्त मकान को आरोपी द्वारा दिनांक 22.03.2005 को विक्रय राशि 22,00,000 रूपये में विक्रय किया जिनके क्रय -विक्रय के पंजीयन दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिया कार्यालय उप पंजीयक प्रथम कोटा से प्राप्त किये गये उक्त मकान क्रय करने पर कुल लागत व्यय राशि 20,82,825 रूपये हुई जिसको विक्रय करने पर प्राप्त विक्रय राशि 22,00,000 रूपये प्राप्त हुये तथा विक्रय राशि में से क्रय राशि घटाये जाने पर प्राप्त अंतर राशि 1,17,175 रूपये 3. आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के नाम एसबीआई शाखा भीलवाडा के बचत खाता संख्या 31329321750 में खाता खुलवाने की दिनांक से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1,65,562 रूपये, दुसरा बचत खाता श्री सतीश कुमार शारदा के नाम बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा भीलवाडा के बचत खाता संख्या 40010100006761 मे खाता खुलवाने की दिनांक 02.01.2013 से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक अवधि में बयाज के रूप में प्राप्त कुल राशि 85,481 रूपये एवं तीसरा बचत खाता आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा एवं पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के सयुक्त बचत खाता शाखा एसके प्लाजा एचडीएफसी बैंक भीलवाडा के बचत खाता संख्या 03501000037051 में खाता खुलवाने की दिनांक 01.07.2007 से चैक पिरीयड अवधि की अंतिम दिनांक 03.12.2020 तक की अवधि मे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 4,86,463 रूपये सहीत उक्त तीनो बचत खातो की कुल ब्याज राशि 7,37,506 रूपये प्राप्त हुई 4. आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा को दिनांक 04.04.2012 को राशि 4,95,000 रूपये एवं दिंनाक 11.05.2012 को राशि 8,04,375 रूपये सहीत कुल राशि 12,99,375 रूपये प्राप्त हुई 5. आरोपी चैक पीरीयड अवधि में अपने रिहायशी मकान में वक्त खाना तलाशी किरायेदार श्री मनीष शर्मा किराये के रूप में एक बेडरूम मय किचन अटैच में रहना पाया गया जिसका उल्लेख फर्द खाना तलाशी में है। आरोपी की आयकर विवरणिका में अंकित राशि 2,62,163 रूपये की आय होना दर्शाया गया है इसलिए उक्त किराया राशि 2,62,163 रूपये 6. आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के नाम पटेल नगर योजना भीलवाडा के भुखण्ड संख्या 5 बी 18 को दिनांक 06.04.2011 को क्रय राशि 7,30,000/- रूपये में क्रय कर पंजीयन शुल्क राशि 11980 सहीत कुल लागत राशि 7,41,980 है उक्त भुखण्ड को दिनांक 28.08.2018 को विक्रय राशि 9,93,000 में बेचान किया गया। जिस पर खरीद राशि 7,41,980 में से बैचान राशि 9,93,000 घटाये जाने पर शुद्ध लाभ राशि 2,51,020/- रूपये रूपये हुई 7. आरोपी के नाम आजाद नगर योजना में भुखण्ड संख्या जी 356 दिनांक 02.06.2014 को क्रय राशि 7,71,000 एवं पंजीयन शुल्क 12,300/- रूपये रूपये सहीत कुल लागत राशि 7,83,300/- रूपये है उक्त भुखण्ड को दिनांक 18.11.2016 को विक्रय राशि 21,11,000 मे बेचान किया जिससे उक्त भुखण्ड की क्रय राशि मय लागत सहीत राशि 7,83,300 में से विक्रय राशि 21,11,000/- रूपये रूपये घटाये जाने पर शुद्ध लाभ राशि 13,27,700/- रूपये रूपये 8. आरोपी के नाम भारतीय डाकघर के पीपीएफ खाता संख्या 380693089/2960 दिनांक 26.12.1998 में खुलवाया गया जिसमे से दिनांक 30.08.2014 को निवेश राशि मे से प्राप्त की गई राशि 7,00,000/- रूपये रूपये को आरोपी की आय में जोडा गया है। (उक्त पीपीएफ खाते में निवेश राशि को आरोपी की अर्जित सम्पत्ति में अलग से जोडा गया है)
कुल योग 1,25,39,030/- रूपये 3--श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा

हाल सेवानिवर्त एवं आरोपी के परिवारजन की चैक पीरीयड अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.03.2000 से ट्रेप दिनांक 03.12.2020 तक अर्जित सम्पत्तियाः- क्र0सं अर्जित सम्पत्तियों का विवरण अर्जित सम्पत्ति का मूल्य 1 आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा के रिहायशी मकान नंबर 10के 17 आरसी व्यास कोलोनी भीलवाडा की खानातलाशी दिनांक 03.12.2020 को ली गई जिसमें मिले घरेलु सामान की अनुमानित किमत राशि 14,81,650/- रूपये 2 आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी में मिले 1,09,920/- रूपये रूपये नगद मिले जिनमे से 9,920/- रूपये रूपये घरेलु खर्च हेतु लोटाये गये एवं शेष राशि 100000 रूपये जब्त किये गये सहीत कुल राशि 1,09,920/- रूपये 3 आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा एवं इनके परिवारजनों के नाम विभिन्न बेंको में कुल 25 एफडीआर में निवेश कुल राशि 21,55,393/- रूपये 4 आरोपी ने अपनी पत्नि के गहने की वैल्यु मात्र राशि 32,050 रूपये ही दर्शाया गया है। पूर्व खाना तलाशी रिपोर्ट में गहने पर व्यय राशि के क्रम मे जांच नहीं की गई है जबकि अब गहने पर खर्च राशि 32,050 /- रूपये 5 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के आयकर विवरणिका वर्ष 2013-14 के अनुसान खुशाल सिक्योरिटी मे दिनांक 22.09.2008 को निवेश राशि 50,00,000 रूपये एवं दिनांक 17.10.2008 को निवेश राशि 55,00,000 रूपये सहीत कुल निवेश राशि 1,05,00,000 रूपये किया 6. आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के नाम दी भीलवाडा महिला अरबन को-ओॅपरेटिव बैंक लिमिटेड भीलवाडा के मेम्बरशिप नंबर 2159 में निवेश राशि 1250/- रूपये 7. आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा एवं इनके परिवारजनों के नाम विभिन्न भारतीय डाकघर में (पीपीएफ खाता) सावधि जमा चार खातों में दिनांक 26.12.1998 से 11.11.2020 तक निवेश कुल राशि 4,22,576/- रूपये 8 आरोपी के नाम भारतीय डाकघर के पीपीएफ खाता संख्या 0380693089/2960 दिनांक 26.12.1998 में खुलवाया गया जिसमे दिनांक 11.11.2020 तक कुल निवेश राशि 12,81,000 की गई जिसे आरोपी की अर्जित सम्पत्ति में जोडा गया है। 9 आरोपी के पुत्र श्री प्रांशु शारदा के नाम एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस पोलिसी नम्बर 1एन 4591140108 दिनांक 04.08.2017 से 27.08.2020 तक कुल निवेश राशि 1,27,883/- रूपये 10 आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस की पोलिसी नम्बर 17940235 प्रारम्भ दिनांक 13.10.2015 से दिनांक 18.11.2019 तक की प्रीमीयम राशि कुल प्रीमीयम राशि 3,75,000/- रूपये 11 आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम एच.डी.एफ.सी. इंश्योरेंस की पोलिसी नम्बर 139104480 प्रारम्भ दिनांक 15.02.2015 से दिनांक 31.08.2010 तक की प्रीमीयम राशि कुल प्रीमीयम राशि 2,50,000 /- रूपये 12 आरोपी की पत्नि श्रीमती जयोत्सना शारदा के नाम बजाज एलाइंज की पोलिसी नम्बर 0061858297 प्रारम्भ दिनांक 21.09.2007 की वार्शिक प्रीमीयम राशि 75000/- रूपयेरूपये के हिसाब से वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक कुल प्रीमीयम राशि 2,25,000 /- रूपये 13 आरोपी के पुत्र श्री प्रतिक शारदा के नाम एलआईसी पोलिसी नंबर 186761850 में निवेश राशि प्रति वर्ष 61,394 रूपये दिनांक 31.10.2011 से अक्टुबर 2020 तक कुल निवेश राशि 6,13,940/- रूपये 14 आरोपी के नाम एसबीआई बेंक बचत खाता संख्या 31329321750 में ट्रेप दिनांक 03.12.2020 को अंतिम बैलेंस राशि 4,52,949/- रूपये 15 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम एचडीएफसी बैंक बचत खाता संख्या 03501000037051 में ट्रेप दिनांक 03.12.2020 को अंतिम बैलेंस राशि 11,23,548/- रूपये 16 आरोपी के पुत्र श्री प्रियान्षु शारदा के नाम एचडीएफसी पेश बचत खाता संख्या 1959100007065 में ट्रेप दिनांक 03.12.2020 को अंतिम बैलेंस राशि 35,673/- रूपये 17 आरोपी की पुत्रवधु श्रीमति शिवानी गोड के नाम एचडीएफसी पेश बचत खाता संख्या 50100355490194 में ट्रेप दिनांक 03.12.2020 को अंतिम बैलेंस राशि 23,779/- रूपये 18 आरोपी के नाम बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक नागौरी गार्डन भीलवाडा के बचत खाता संख्या 40010100006761 में ट्रेप दिनांक 03.12.2020 को अंतिम बैलेंस राशि 3,55,490/- रूपये 19 आरोपी के नाम भुखण्ड संख्या 10के17 आरसी व्यास कोलोनी भीलवाडा की क्रय राशि 6,50,000 रूपये में दिनांक 22.02.2005 को पंजीयन शुल्क राशि 54,260 एवं युआईटी भीलवाडा नामांतरण शुल्क राशि 781 रूपये एवं 1550 रूपये सहीत कुल लागत राशि 7,06,591/- रूपये 20 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के नाम उदयविहार योजना भीलवाडा मे आवासीय भुखण्ड संख्या 50 दिनांक 16.06.2009 को क्रय राशि 2,30,000/- रूपयेरूपये , पंजीयन शुल्क 2310 एवं 11,520 रूपये सहीत कुल लागत राशि 2,43,830/- रूपये 21 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के नाम माधव नगर आवासीय योजना में भुखण्ड संख्या ए-144 की क्रय राशि 32,00,000 रूपये में दिनांक 19.02.2020 को (पंजीयन शुल्क राशि 1,85,900/- रूपये रूपये प्रथम पक्ष द्वारा वहन करना पंजीयन में अंकित है इसलिये पंजीयनं शुल्क को अर्जित सम्पत्ति में नही जोडा गया है।) भुखण्ड क्रय राशि 32,00,000 /- रूपये 22 आरोपी एवं आरेापी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के संयुक्त नाम पर माधव नगर आवासीय योजना भीलवाडा में भुखण्ड संख्या ए-143 की क्रय राशि 29,25,000 दिनांक 12.10.2017 केा (पंजीयन शुल्क राशि 2,05,060 रूपये प्रथम पक्ष द्वारा वहन करना पंजीयन में अंकित है इसलिये पंजीयन शुल्क को अर्जित सम्पत्ति में नही जोडा गया है।) भुखण्ड क्रय राशि 29,25,000 /- रूपये 23 आरोपी एवं आरेापी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना शारदा के संयुक्त नाम पर माधव नगर आवासीय योजना भीलवाडा में भुखण्ड संख्या ए-142 की क्रय राशि 6,75,000 दिनांक 05.12.2007 केा पंजीयन शुल्क राशि 43,880 रूपये सहीत कुल लागत राशि 7,18,880/- रूपये 24 आरोपी के रिहायशी मकान नंबर 10के17 आरमी व्यास कोलोनी भीलवाडा के

निमार्ण की लागत राशि के संबंध में सार्वजनिक निमार्ण विभाग के तकनीकी अधिकारीयों द्वारा प्रचलित बीएसआर के अनुसार निर्मित मकान की निमार्ण लागत कुल राशि 14,83,119/- रूपये 25 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम एक मारूति डिजायर कार आरजे 06 सीबी 4332 की क्रय लागत राशि 5,49,000/- रूपये रूपये पंजीयन दिनांक 29.02.2012 पंजीयन शुल्क राशि 28,150 सहीत कुल लागत राशि 5,77,150/- रूपये 26 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम एक होण्डा सीटी कार आरजे 06 सीडी 3152 की क्रय लागत राशि 9,52,216/- रूपये रूपये पंजीयन दिनांक 06.06.2018 पंजीयन शुल्क राशि 88,170 सहीत कुल लागत राशि 10,40,386/- रूपये 27 आरोपी के पुत्र श्री प्रियान्षु शारदा के नाम एक स्कुटर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है जिसकी क्रय लागत राशि 40,000/- रूपयेरूपये एवं पंजीयन शुल्क राशि 1800 रूपये सहीत कुल अनुमानित लागत राशि 41,800/- रूपये कुल योग 3,05,03,857/- रूपये 4- श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवा पेश एवं आरोपी के परिवारजन की चैक पीरीयड अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.03.2000 से ट्रेप दिनांक 03.12.2020 तक व्यय की गई राशिः- क्र0सं0 व्यय की गई राशि के दस्तावेज का विवरण व्यय की गई राशि 1 आरोपी की प्रथम नियुक्ति चैक पिरीयड अवधि दिनांक 09.03.2000 से ट्रेप दिनांक 03.12.2020 तक प्राप्त कुल सकल वेतन 1,02,22,072 रूपये में से आय कर कटौती राशि 6,98,859 रूपये घटाये जाने पर पेश राशि 95,23,213 रूपये का एक तिहाई राशि 31,74,404 रूपये 2 आरोपी के छोटे पुत्र श्री प्रान्षु शारदा के नाम वाहन आर जे 06 सी ए 9973 का नेशनल इंश्योरेंस दिंनाक 02.11.2018 को उक्त वाहन का बिमा पर व्यय राशि 4323/- रूपये 3 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम मारूति 800 आरजे 27 सी चैक पिरीयड अवधि दिनांक 09.03.2000 से वर्ष 2009-10 में विक्रय किया गया तो आरोपी की पत्नि द्वारा उक्त वाहन 10 वर्ष तक परिचालन किये जाने पर रखरखाव/सर्विस चार्ज/मेंटेनेंस, वाहन बीमा एवं फ्यूल खर्च प्रतिवर्ष 60,000 रूपये के हिसाब से 10 वर्ष कुल व्यय राशि 6,00,000 रूपये 4 आरोपी के छोटे पुत्र श्री प्रान्षु शारदा कि शादी दिंनाक 08.12.2019 को शादी में व्यय राशि 10,00,000/- रूपये 5 आरोपी के छोटे पुत्र श्री प्रान्षु शारदा के नाम सूजूकी कम्पनी द्वारा दिंनाक 03.09.2018 को बिमा पांच वर्ष का एक मुश्त प्रिमियम राशि 8868/- रूपयेरूपये आईसीआईसी आई बैंक के मार्फत जमा करवाये गये जो आरोपी की व्यय में जोडा गया है। 8868/- रूपये 6 आरोपी के छोटे पुत्र श्री प्रान्षु शारदा के नाम सूजूकी कम्पनी द्वारा वाहन सर्विस दिंनाक 11.09.2018 को व्यय राशि 68307/- रूपयेरूपये कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये जो आरोपी की व्यय में जोडा गया है। 68307/- रूपये 7 आरोपी के बडे पुत्र श्री प्रतीक शारदा का जन्म दिंनाक 10.07.1987 को हुआ उसके बाद कक्षा 01 से जेआईआईटी नोयडा से एंव बीटेक की शिक्षा 2010 में पूर्ण करने तक अनुमानित शिक्षा खर्च राशि 13,50,000/- रूपये 8 आरोपी के छोटे पुत्र श्री प्रान्षु शारदा का जन्म दिंनाक 22.04.1993 को हुआ उसके बाद कक्षा 01 से 12 तक सेन्ट एन्स्ल्म स्कुल भीलवाडा 2011 में पूर्ण कर बीकॉम राजकिय कॉलेज भीलवाडा से वर्ष 2014 में पूर्ण करने तक कुल अनुमानित शिक्षा ,खर्च व्यय राशि 3,50,000/- रूपये 9 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम एक मारूति डिजायर कार आरजे 06 सीबी 4332 का पंजीयन दिनांक 29.02.2012 से फरवरी 2020 तक 09 वर्ष का बिमा व्यय राशि एंव फ्यूल खर्च /सर्विस मेनटीनेस खर्च सहित प्रति वर्ष 65000/- रूपये रूपये के हिसाब से कुल 09 वर्ष के कुल अनुमानित व्यय राशि 5,85,000/- रूपये 10 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम एक होण्डा सीटी कार आरजे 06 सीडी 3152 का पंजीयन दिनांक 06.06.2018 से फरवरी 2020 तक 02 वर्ष का बिमा व्यय राशि एंव फ्यूल खर्च /सर्विस मेनटीनेस खर्च सहित प्रति वर्ष 55000/- रूपये रूपये के हिसाब से कुल 02 वर्ष के कुल अनुमानित व्यय राशि 1,10,000/- रूपये 11 आरोपी की पत्नि श्रीमति ज्योत्सना के नाम आजाद नगर योजना भीलवाडा के भूखण्ड संख्या एफ-171 को दिंनाक 11.11.2016 को क्रय राशि 6,90,000/- रूपयेरूपये का पंजीयन दिंनाक 11.06.2016 को पंजीयन राशि 23,940/- रूपये रूपये सहित भूखण्ड कि कुल लागत राशि 07,13,940/- रूपये रूपये है उक्त भुखण्ड को दिंनाक 24.09.2018 को विक्रय राशि 7,00,000/- रूपये रूपये में बैचान किया जिससे पूर्व में क्रय की लागत राशि 07,13,940/- रूपये रूपये में से विक्रय राशि 7,00,000/- रूपये रूपये घटाये जाने पर भुखण्ड से शुद्ध हानि हुई राशि 13,940/- रूपये रूपये लागत राशि से कम प्राप्त होने से उक्त हानि हुई राशि 13,940/- रूपये रूपये को आरोपी के व्यय में जोडा जायेगा। 13,940/- रूपये योग 72,64,842/- रूपये (क) चैक पिरियड़ से पूर्व खरीदी व अर्जित सम्पत्तियों का मुल्यः- शून्य (ख) चैक पिरियड़ के अन्त मे मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मुल्यः- 3,05,03,857/- रूपये (ग) चैक पिरियड़ के दौरान् खरीदी गयी सम्पत्तियों का मुल्यः- 3,05,03,857/- रूपये (घ) चैक पिरियड़ के दौरान् प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशिः- 1,25,39,030/- रूपये (ड़) चैक पिरियड़ के दौरान् अर्जित कुल खर्च की राशिः- 72,64,842/- रूपये (च) चैक पिरियड़ के दौरान् अर्जित परिसम्पत्तियां व खर्च- 3,77,68,699/- रूपये (छ) वैघ आय जो अधिक पायी गयी (च-घ)- (3,05,03,857 72,64,842)-(1,25,39,030) 2,52,29,669/- रूपये सम्पत्ति अधिक (ज) वैध आय से अर्जित सम्पत्ति अधिक पायी गई का प्रतिशतः- 201.20 प्रतिशत इस प्रकार चैक पिरीयड अवधि में श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त के चैक पीरियड दिनांक 09.03.2000 से दिनांक 03.12.2020 तक की चैक अवधि के दौरान वैध आय 1,25,39,030/- रूपयेरूपये होना पाया गया। इस प्रकार चैक पिरीयड अवधि में श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त की परिसंपत्तियों का कुल योग

3,05,03,857/- रूपये होना पाया गया तथा व्यय की राशि 72,64,842/- रूपये होना पाई गई। इस प्रकार अर्जित परिसम्पत्तियाँ व व्यय की गई राशि का कुल योग- 3,77,68,699/- रूपये होना पायी गयी। इस राशि में से आरोपी के ज्ञात स्त्रोतों से आय (वेतन भत्ते व अन्य आय) 1,25,39,030/- रूपये घटाने पर शेष राशि - 2,52,29,669/- रूपये परिसम्पत्तियां अधिक पाई गई इस प्रकार चैक पिरीयड अवधि श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त की 2,52,29,669/- रूपये परिसम्पत्तियां अधिक होना खाना तलाशी जांच से प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई। जो ज्ञात स्त्रोत आय से करीब 201.20 प्रतिशत अधिक होना खाना तलाशी जांच से प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः श्री सतीश कुमार शारदा पुत्र श्री राधेश्याम शारदा उम्र 61 वर्ष निवासी 10 के 17 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा पुलिस थाना सुभाश नगर जिला भीलवाडा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त के द्वारा अपराधिक षडयंत्र रचकर नामी एंव बेनामी सम्पती अर्जित करते हुये आय से अधिक अवैध सम्पत्ति अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री सतीश कुमार शारदा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13 (1) (बी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सपठित 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है। भवदीय, (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13 (1) (बी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सपठित 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सतीश कुमार शारदा पुत्र श्री राधेश्याम शारदा उम्र 61 वर्ष निवासी 10 के 17 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाडा हाल सेवानिवर्त्त के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री हिम्मत सिंह चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट.505 पर अंकित है। (कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1209-1212 दिनांक 02-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2-प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HIMMAT CHARAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/10/2024 20:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/03/1963				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)